न्यायालयः—श्रीमती वंदना सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी मालवा जिला—नर्मदापुरम (म0प्र0)

Registration No.383/2022
Filing No RCT/2161//2022
CNR No. MP 0507001509/2022
Filing Date 12-10-2022

निर्णय की तारीख **आज दिनॉक 10/01/2024 को घोषित।** थाना शिवपुर, जिला—नर्मदापुरम म0प्र0 के अपराध क्रमांक 275/2022 धारा 279, 429 भा0दं0सं0 से उद्भूत आपराधिक प्रकरण	
परिवादी/अभियोजन	म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र शिवपुर जिला—नर्मदापुरम म0प्र0
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्रीमती वंदना जाट, ए0डी0पी0ओ0।
अभियुक्त	शहीद खान पिता सब्बीर खान उम्र 45 वर्ष, निवासी—ग्राम खातेगांव देवास म0प्र0।
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री अजीत सिंह राजपूत अधिवक्ता।

अपराध की तारीख	07/10/2022
प्र.सू.रि. की तारीख	07/10/2022
आरोप पत्र की तारीख	12/10/2022
आरोपों के विरचना की तारीख	08/12/2022
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तारीख	12/06/2023
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	10/01/2024
निर्णय की तारीख	10/01/2024
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	निरंक

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 दं. प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
01	शहीद खान	निरंक	निरंक	धारा 279, 429 भा0दं0सं0	दोषमुक्त	निरंक	निरंक

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदशी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य साक्षी)
अ0सा0–01	**सुंदरलाल समद**	चक्षुदर्शी साक्षी
अ0सा0–02	**शंकर सिंह मीना**	पुलिस साक्षी,

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदशी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य साक्षी)
ब.सा.1	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदशी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य साक्षी)
न्या.सा.1	निरंक	निरंक

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन

सं. क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श पी.01 / अ0सा0–01,2 प्रदर्श पी.02 / अ0सा0–01,2 प्रदर्श पी.03 / अ0सा0–01,2 प्रदर्श पी.04 / अ0सा0–01,	प्रथम सूचना रिपोर्ट नक्शामौका नुकशानी पंचनामा पुलिस कथन

	प्रदर्श पी.05/अ0सा0–02 प्रदर्श पी.06/अ0सा0–02 प्रदर्श पी.07/अ0सा0–02	133 एमव्हीएक्ट का नोटिस जप्ती पत्रक न्यायालय उपस्थित होने बावत् सूचना पत्र

क. प्रतिरक्षा

सं. क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श डी.1/ब.सा.1	निरंक

क. न्यायालयीन प्रदर्श

सं. क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श सी.1/न्या.सा.1	निरंक

घ– आवश्यक वस्तुएं:
निरंक

(1) अभियुक्त शहीद खान का विचारण भा0दं0सं0 की धारा 279, 429 के तहत इस आशय का अपराध है कि घटना दिनांक 07/10/2022 को शाम करीब 6.00 बजे या उसके लगभग, स्थान शिवपुर मुख्य मार्ग पर वाहन बस क्रमांक एमपी–41–पी.–1159 को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाया जिससे मानव जीवन संकटापन्न होना अथवा अन्य किसी व्यक्ति को क्षति या उपहति कारित होना संभाव्य हुआ।

(2) अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सुंदरलाल ने थाना शिवपुर आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई है कि वह शिवपुर रहता है मजदूरी करता है कि दिनांक 07.10.2022 के शाम 6.00 बजे के करीबन में वह कन्या शाला के समाने जुबेर की दुकान पर खड़ा था तभी उसकी गाय का बछड़ा चर कर उसके घर आ रहा था, की कन्या शाला शिवपुर के सामने मेन रोड पर सैयद बस जो प्रतिदिन हरदा तरफ से शिवपुर होकर सिवनीमालवा आती जाती है, के चालक द्वारा बस को तेज एवं लापरवाही से चलाकर बछड़े को टक्कर मार दिया जिससे बछड़ा घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। बछड़े का रंग सफेद उम्र 09 माह कीमत 04 हजार रूपये था । घटना केशव यादव एवं विनोद बसोड़ ने देखी है फरियादी की

उक्त आशय की रिपोर्ट पर थाना शिवपुर में आरोपी के विरूद्ध अपराध क. 275/2022 अंतर्गत धारा 279, 429 भा0दं0सं0 का पंजीबद्ध किया गया। नक्शामौका, नुकशानी पंचनामा, जप्ती पत्रक तैयार किया गया। मैकेनिकल परीक्षण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, साक्षीगण के कथन लिये गये। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायायल में प्रस्तुत किया गया।

(3) अभियुक्त को आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने अपराध किये जाने से इंकार करते हुए विचारण चाहा।

(4) प्रस्तुत प्रकरण में आहत सुंदरलाल एवं अभियुक्त शहीद खान के मध्य न्यायालय के बाहर आपसी राजीनामा हो जाने से न्यायालय के आदेश दिनांक 10.01.2024 के अनुसार अभियुक्त शहीद खान को भा.दं. वि. की धारा 429 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया परन्तु भा.दं.वि. की धारा–279 का अपराध शमन योग्य न होने से अभियुक्त का विचारण जारी रहने से उक्त आरोप के संबंध में यह निर्णय पारित किया जा रहा है ।

(5) **<u>मामले के निराकरण हेतु इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैं किः–</u>**

01. क्या अभियुक्त शहीद खान ने घटना दिनांक 07/10/2022 को शाम करीब 6.00 बजे या उसके लगभग, स्थान शिवपुर मुख्य मार्ग पर वाहन बस कमांक एमपी–41–पी.–1159 को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाया जिससे मानव जीवन संकटापन्न होना अथवा अन्य किसी व्यक्ति को क्षति या उपहति कारित होना संभाव्य हुआ?

//सकारण निष्कर्ष//

<u>विचारणीय प्रश्न कमांक 01 के संबंध में</u>

(6) सुंदरलाल समद **<u>अ0सा0–01</u>** ने यह परिसाक्ष्य दी है कि वह आरोपी शहीद खान को पहचानता है। घटना दिनांक 07.10.2022 के शाम 6.00 बजे की है। उसकी गाय का बछड़ा चरकर उसके घर आ रह था तभी वह हॉर्न सुनकर विदकर भागा और रोड की तरफ भागते समय गिर गया था जिससे उसे चोट आई थी और मौत हो गई थी। उसने घटना की रिपोर्ट करने थाना सिवनीमालवा में की थी, जो प्रपी–01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। घटना स्थल का नक्शा मौका प्रपी–02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर

है। नुकशानी पंचनामा प्रपी–03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उससे पूछताछ कर बयान लिये थे। उक्त साक्षी द्वारा पूर्ण रूप से अभियोजन मामले का समर्थन न किये जाने से अभियोजन द्वारा उसे पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गये जिसमें उसने इस तथ्य से इंकार किया कि शिवपुर मेन रोड पर सैय्यद बस जो प्रतिदिन हरदा से शिवपुर होते हुए सिवनीमालवा आती है उसके चालक ने बस को तेज व लापरवाही से चलाकर बछड़े को टक्कर मार दी थी। इस बात से भी इंकार किया है कि टक्कर के कारण बछड़ा घायल हो गया था और बाद में उसकी मौत हो गई थी। साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी–04 का ए से ए एवं पुलिस रिपोर्ट प्रपी–01 व प्रपी–03 का बी से बी भाग देने से इंकार किया है। परंतु इस बात को स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है। परंतु इस बात को अस्वीकार किया है कि राजनीमा हो जाने के कारण वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

(7) शंकर सिंह मीना **अ0सा0–02** ने यह परिसाक्ष्य दी है कि वह दिनांक 08.10.2022 को थाना शिवपुर में कार्यवाहक सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी सुंदरलाल ने थाना आकर मौखिक रूप से बताया था कि दिनांक 07.10.2022 को शाम 6.00 बजे वह कन्या शाला के सामने खड़ा था तभी उसकी गाय का बछड़ा चरकर घर वापिस आ रहा था तभी सैयद बस जो शिवपुर से सिवनीमालवा की तरफ जाती है, के चालक ने बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसकी गाय के बछड़े को घायल कर दिया था जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। बछड़े की कीमत 4 हजार रूपये करीब थी। उक्त सूचना के आधार पर थाना शिवपुर में अप.क्र. 275/22 धारा 279, 429 भादविं का कायम कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी, जो प्रपी–01 है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। विवेचना के दौरान ही घटना स्थल का नक्शा मौका प्रपी–02 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। नुकशानी पंचनाम प्रपी–'03 है ,जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा वाहन स्वामी जावेद अली को धारा 133 एमव्हीएक्ट का नोटिस दिया गया था, जो प्रपी–05 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी द्वारा पेश करने पर उक्त दिनांक को ही बस क्रमांक एमपी–41–पी–1159 एवं उक्त बस की बीमा, फिटनेस, परमिट, रजिस्ट्रेशन, ड्रायवर शहीद खान का ड्रायविंग लाईसेंस व आधार कार्ड की छायाप्रति जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी–06

तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी शहीद खान को न्यायालय उपस्थित होने सूचना पत्र दिया था जो प्रपी–07 है। जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। घटना के संबंध में उसके द्वारा साक्षी सुंदरलाल, राकेश, जुवेर, केशव, विनोद, के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। प्रकरण में उसके द्वारा उक्त मृत बछड़े का पोस्टमार्टम पशु चिकित्सा अधिकारी शिवपुर द्वारा करवाया गया था, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रकरण में संलग्न है। उक्त विवेचना पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उसके द्वारा न्यायालय में पेश किया गया था।

(8) प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने थाना पर बैठकर मनमाने तरीके से कार्यवाही की है। इस बात से भी इंकार किया है कि उसने बिना किसी जांच के आरोपी के विरूद्ध प्रकरण बनाया है तथा आरोपी के विरूद्ध विरूद्ध असत्य कार्यवाही की है। ऐंसी स्थिति में जहां प्रकरण का मुख्य साक्षी सुन्दरलाल समद के साक्ष्य से आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित नही होता है वहां मात्र विवेचना अधिकारी की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषस्द्धि किया जाना संभव नही है।

(9) इस प्रकार अभिलेख पर विचारणीय बिन्दु के संबंध में अन्य कोई स्वतंत्र व चक्षुदर्शी साक्ष्य भी विद्यमान नहीं है और न ही फरियादी साक्षी सुन्दरलाल समद अ0सा0–01 ने विचारणीय बिन्दु के संबंध में समर्थन किया है। प्रकरण में संलग्न मात्र सम्पोषक दस्तावेज प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी–01, नक्शामौका प्रपी–02 नुकशानी पंचनामा प्रपी–03 पुलिस कथन प्रपी–04 के आधार पर सारभूत साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता।

(10) अतः अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक 07/10/2022 को शाम करीब 6.00 बजे या उसके लगभग, स्थान शिवपुर मुख्य मार्ग पर वाहन बस क्रमांक एमपी–41–पी.–1159 को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाया जिससे मानव जीवन संकटापन्न होना अथवा अन्य किसी व्यक्ति को क्षति या उपहति कारित होना संभाव्य हुआ। परिणामस्वरूप अभियुक्त को भा0दं0सं0 की धारा 279 के अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

(11) प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन वाहन बस क्रमांक एमपी–41–पी.–1159 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी को सुपुदर्गीनामे पर सुपुर्द की जा चुकी है।

(12) अभियुक्त की ओर से पूर्व प्रस्तुत बंधपत्र को धारा 437–ए दं0प्र0सं0 के अंतर्गत 06 माह के लिए निरंतर किया जाता है कि अपील होने की दशा में वह माननीय अपील न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे।

(13) अभियुक्त के अन्वेषण, जांच एवं विचारण के दौरान न्यायिक निरोध में व्यतीत की गई अवधि के संबंध में पृथक से धारा 428 दं.प्र.सं. प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर संलग्न किया जावे।

स्थानः–सिवनी मालवा
दिनॉकः– 10.01.2024

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

सही / –
(श्रीमती वंदना सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी मालवा
जिला–नर्मदापुरम म0प्र0

VANDNA SINGH

Digitally signed by VANDNA SINGH
Date: 2024.01.10 17:06:06 +0530